पितृश्वस्त्रेय
(Amitate)

'मातुलेय' प्रथा के अन्तर्गत जिस प्रकार माता के भाई का विशेष अधिकार तथा स्थिति होती है, उसी प्रकार पितृश्वस्त्रेय प्रथा मे पिता की बहन बुआ या पितृश्वसा का अधिक महत्त्व होता है। डा० रिवर्स (Rivers) ने इस प्रकार की अनेक जनजातियो का उल्लेख किया है जिनमे कि इस प्रकार की प्रथा पायी जाती है। वैक्स प्रायद्वीप मे एक व्यक्ति अपनी बुआ का अपनी माता से कही अधिक सम्मान करता है और उस व्यक्ति के विवाह-साथी का चुनाव बुआ के द्वारा ही होता है। बुआ की सम्पत्ति पर एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता है। वह व्यक्ति उस सम्पत्ति को अपने मनमाने ढग से खच कर सकता है। दक्षिणी अफ्रीका की कुछ जनजातियो मे भी यह प्रथा पायी जाती है। वे लोग भी अपनी बुआ का काफी आदर करते हैं। टोडा जनजाति मे बच्चे का नामकरण करने का अधिकार बुआ को ही होता है। कुछ जनजातियो मे तो दाह-सस्कार का भी अधिकार बुआ को ही प्राप्त होता है। सर्वश्री चैपल तथा कून (Chapple and Coon) का मत है कि पितृश्वस्त्रेय प्रथा के प्रचलन का कारण उन सम्बन्धियो मे पारस्परिक सामाजिक अन्त क्रिया को बनाये रखना है, जिनमे कि विवाह के पश्चात् उस अन्त क्रिया के समाप्त होने की सम्भावना रहती है।

सह-प्रसविता या सहकष्टी
(Couvade)

नातेदारी-व्यवस्था के अन्तर्गत एक अति निराली प्रथा 'सह-प्रसविता' है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रथा का सम्बन्ध प्रसव-काल से है। इस प्रथा के अनुसार पति के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि जब कभी भी उसकी पत्नी का बच्चा होने वाला हो तो पति भी उन सब कष्टो को अनुभव करे तथा बहुत-कुछ वैसा ही व्यवहार करे और दिन गुजारे जैसा कि प्रसवा कर रही है। ऐसी स्थिति मे पति को भी उसी प्रकार का भोजन करना पडता है जैसा कि प्रसवा करती है, उसे भी उसी कमरे मे बन्द रक्खा जाता है जिसमे कि प्रसवा बच्चा प्रसव होने के बाद कुछ दिनो के लिये रहती है। फलत जिस प्रकार प्रसवा को छूत माना जाता है उसी प्रकार उसके पति को भी कोई छूता नही है। कुछ जनजातियो मे तो यहाँ तक नियम है कि बच्चा प्रसव होने के समय जो दर्द प्रसवा को होता है और जिसके कारण वह रोती-चिल्लाती है उसी प्रकार पति को भी उन कष्टो को अनुभव करना तथा चिल्लाना-चीखना पडता है। इतना ही नही, प्रसवा जिन-जिन नियमो का पालन करती है, पति को भी उन्ही नियमो का पालन करना पडता है। इसीलिये खासी जनजाति मे पति, अपनी पत्नी की भाँति, बच्चा पैदा न हो जाने तक कोई नदी पार नही करता या कपडे नही धोता है।

इस प्रथा के प्रचलन के सम्बन्ध मे मानवशास्त्री एक मत नही हैं। कुछ विद्वानो का कथन है कि जनजातियो के जादू के द्वारा नुकसान पहुँचने का डर अत्यधिक होता है। इसलिए वे माता और पिता दोनो पर ही अनेक प्रतिबन्ध लगाकर उन दोनो को जादू-टोने से तब तक रक्षा करते है जब तक बच्चा सकुशल पैदा न हो जाय। कुछ मानवशास्त्रियो

के अनुसार इस प्रथा द्वारा पति भी सन्तान के प्रति अपना उत्तरदायित्व प्रदर्शित करता है। यह भी हो सकता है कि पत्नी के प्रति समवेदना प्रदर्शित करने के लिये पति ऐसा करता है। श्री मैलिनोवस्की (Malinowski) का कथन है कि इस प्रथा के पालन द्वारा पति अपनी पत्नी तथा बच्चो के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त करता है जिसके फलस्वरूप उनका पारस्परिक सम्बन्ध और दृढ होता है। डा० दुबे ने लिखा है कि "इस प्रथा के मूल मे सामाजिक कारण यह दीख पडता है कि जो व्यक्ति इतने कष्ट सहता है, वह सामाजिक रूप से ज्ञात हो जाता है और इसलिये वह पुरुष उस सन्तति का पिता बनने का अधिकारी हो जाता है। यह सदैव आवश्यक नही है कि यह पिता जैविकीय (biological) पिता भी रहा हो। टोडा समाज मे इस प्रथा को धनुप-बाण की भेंट देकर पूरा किया जाता है।" जिस प्रकार टोडा जनजाति धनुष-बाण भेंट करके पितृत्व का अधिकार प्राप्त करती है, उसी प्रकार दूसरे समाजो मे सह-प्रसविता पितृत्व को प्रदर्शित करने की एक सामाजिक प्रथा है।